

नियमावली

1. संस्था का नाम : सिजरिया ऐजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पूरा पता : 34 मुसाईपुरा, खत्रयाना मार्ग डॉसी (उ०प्र०)
3. संस्था के ऑफिस (आगरा) का पता : 70, बी०एन० पुरम् पश्चिमपुरी, आगरा यू०पी०।
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

कोई भी वयस्क व्यक्ति संस्था द्वारा अथवा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर संस्था का सदस्य बन सकेगा, परन्तु प्रतिबंध यह है कि सदस्यता हेतु प्रबंधकारिणी समिति द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया - कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के 6 माह बाद ही मतदान में भाग लेने का अधिकारी होगा।

सदस्यों के वर्ग निम्नलिखित होंगे:

संरक्षक सदस्य:

जो व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त एक बार सदस्यता शुल्क एक रूप में 1100/- रूपया या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति देगा वह व्यक्ति संस्था का संरक्षक सदस्य होगा।

अजीवन सदस्य:

जो व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त एक बार मुबलिग 2000/- रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का अजीवन सदस्य कहलायेगा।

सामान्य सदस्य:

जो व्यक्ति को प्रतिवर्ष 501/- रूपया अथवा इससे अधिक इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

विशिष्ट सदस्य:

जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हो जिन्हें संस्था की प्रबंधकारिणी समिति की सहमति प्राप्त कर नामित करेगी, वह व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे परन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसे व्यक्ति मतदान में भाग लेने के अधिकारी न होंगे तथा न ही सदस्यता शुल्क के रूप में कोई धनराशि अदा करेंगे।

CHHAYA GUPTA

अध्यक्ष

सिजरिया ऐजुकेशनल सोसायटी

Handwritten signatures and stamps in the bottom left section.

प्रबंधक

सिजरिया ऐजुकेशनल सोसायटी

Handwritten signatures and stamps in the bottom right section.

6. सदस्यता की समाप्ति.

संस्था की सदस्यता को समाप्ति निम्नकारणों में से किसी एक कारण के होने पर की जा सकेगी।

1. किसी सदस्य की अज्ञानक मृत्यु हो जाने पर.
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर.
3. सदस्यता शुल्क अदा न करने पर.
4. प्रबंधसमिति को अपना त्याग पत्र देने पर.
5. न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर.
6. लगातार बिना सूचना के तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर.
7. संस्था के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर.

7. संस्था के अंग:

अ. साधारण सभा,

ब. प्रबंधकारिणी समिति,

8. साधारण सभा:

अ. गठन : साधारण सभा का गठन अजीवन सदस्य, सामान्य सदस्यों, को मिलाकर होगा।

ब. बैठक : साधारण सभा की वर्ष में दो बैठक अनिवार्य होगी, विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर कभी भी बुलाई जा सकेगी।

स. सूचना अवधि : साधारण सभा की वार्षिक बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जाना आवश्यक है, सूचना लिखित, यू०पी०सी० डाक द्वारा दी जा सकेगी।

द. गणपूर्ति : साधारण सभा की बैठकों का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा परन्तु स्थगित बैठकों के लिए कोरम का बन्धन नहीं होगा बशर्ते एजेण्डा न बदला जाये।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन:

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा, जिसकी तिथि व समय प्रबंधकारिणी समिति ही निश्चित करेगी।

र. साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकार

1. साधारण सभा अपने प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का नियुक्त करेगी।
2. संस्था की नीति निर्धारण करना व नियमों/विनियमों में संशोधन।
3. प्रबंधकारिणी समिति में हुये सदस्यों, पदाधिकारियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।
4. वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब (बजट) का अनुमोदन करना आदि।

CHHAYA GUPTA

बध्यक्ष
मिनिमिया एजुकेशनल सोसायटी

CHHAYA GUPTA
CHHAYA GUPTA
CHHAYA GUPTA

5. कार्य विशेष के लिए उपसमितियों का गठन करना, तथा अधिकार क्षेत्र कार्य निर्धारण करना।

9. प्रबंधकारिणी समिति:

अ. गठन: प्रबंधसमिति का गठन साधारण सभा द्वारा होगा व पद स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे।

ब. बैठक: (सामान्य/विशेष) प्रबंधकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार आवश्यक हुआ करेगी व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकेगी।

स. सूचना अवधि: प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है, सभी सूचना लिखित दी जायेगी।

द. गणपूर्ति: प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से होगा, स्थगित बैठकों के लिए कोरम की बाध्यता न होगी बशर्ते एजेण्डा न बदला जाये।

ब. रिक्त स्थान की पूर्ति आदि :

1. प्रबंधकारिणी समिति में सदस्यों व पदाधिकारियों के अचानक हुए रिक्त स्थान की पूर्ति चुनाव के कार्यकाल पूरा होने तक साधारण सभा के 2/3 बहुमत के आधार पर होगी।

र. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार/कर्तव्य:

1. संस्था के विरुद्ध कार्यवाहियों में लिप्त संस्था के कर्मचारियों व सदस्यों के प्रति अनुशासनात्मक/अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही करना।
2. संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खादी ग्रामोद्योग, आयोग बोर्ड समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग आदि अन्य विभागों, प्रतिष्ठानों से धर्मार्थ आर्थिक सहायताएं प्राप्त करना।

ल. कार्यकाल : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10 प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकारों/कर्तव्य:

अध्यक्ष:

1. समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य भी कार्य जो आमसभा से 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो करना।
3. प्रस्तावों पर अपना मत प्राप्त करना, गतिरोध उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देना व समिति द्वारा संस्थाओं की देख रेख करना व बैठकों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।

CHHAYA GUPTA





अध्यक्ष

सिजरिया एस्कॉर्ट्स कोरपोरेशन

प्रबंधक



प्रबंधक

सिजरिया एस्कॉर्ट्स कोरपोरेशन

सिजरिया एस्कॉर्ट्स कोरपोरेशन

प्रबंधक

सिजरिया एस्कॉर्ट्स कोरपोरेशन

सिजरिया एस्कॉर्ट्स कोरपोरेशन

उपाध्यक्ष:

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों का निर्वाहन करना व उसके द्वारा बताये गये कार्यों को नियम पूर्वक रना व अध्या के कार्यों में उसकी सहायता करना।

प्रबन्धक:

1. प्रबन्धकारिणी समिति का यह मुख्य पदाधिकारी होगा।
2. संस्था के बाहर जाने वाले कागजात तथा रिकार्ड का सत्यापन एवं हस्ताक्षरित करना।
3. संस्था की पूंजी का प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पास नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखना व संस्था में प्राप्त चन्दा सदस्यता शुल्क अनुदान प्राप्त करना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा लिए गये निर्णयों पर अपने विवेक व अध्यक्ष की सहमति के द्वारा विचार कर अन्तिम रूप से निर्णय देना व संस्था की उन्नति हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
5. समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना, संस्था के सभी अभिलेख व प्रपत्र अपने पास रखना।
6. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि करना।

उप्रबन्धक :

1. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा बताये गये कार्यों को करना और संस्था के विकास हेतु कार्य करना, व किये गये कार्यों की रिपोर्ट अध्यक्ष को देना।

कोषाध्यक्ष:

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा बताये कार्यों को करना व आय तथा व्यय का सम्पूर्ण लेखा जोखा व अभिलेख तैयार का प्रबन्धसमिति के मुख्य पदाधिकारी को सौंपना रखना।

आय-व्यय निरीक्षक :

1. संस्था के सम्पूर्ण आय-व्यय को ऑडिट करना व अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साधारण सभा में अध्यक्ष को समक्ष प्रस्तुत करना व ऑडिट प्रपत्रों को सुरक्षित रखना व संस्था के विकास हेतु योगदान देना।

11. संस्था के नियमों / विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:

1. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन साधारण सभा के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

12. संस्था के कोष : (लेखा व्यवस्था):

1. संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर रखा जायेगा जिसके खाते का संचालन संस्था के प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

सिजरिया म्यूचुअल सोसायटी

13. सोसाइटी द्वारा जमीन अथवा प्रॉपर्टी की खरीद या किरायेनामा:

1. सिजरिया एजुकेशनल सोसाइटी सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में किसी भी प्रकार की जमीन अथवा प्रॉपर्टी की खरीद कर सकती है एवं सोसाइटी के चेयरमैन अथवा कोई भी सदस्य अपने नाम से भी जमीन खरीदकर सोसाइटी को किराये पर अथवा किराये पर किरायानामा लिख कर अथवा लीज पर दे सकता है।
2. सोसाइटी अथवा चेयरमैन अथवा सदस्य के नाम से खरीदी हुए जमीन को बेचने का, किराये पर देने का लीज पर रखने का, उसे बैंक में अथवा किसी संस्था में बंधक बनाकर उस पर लोन लेने का पूर्ण अधिकार सोसाइटी, सोसाइटी के चेयरमैन अथवा सोसाइटी की प्रबंधक को है।

14. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट):

1. संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षक (ऑडिट) प्रतिवर्ष किया जायेगा जो संस्था में नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक, व चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा जिसकी रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशन में साधारण सभा में प्रस्तुत की जायेगा।

15. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:

1. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा।

16. संस्था के अभिलेख:

1. संस्था के अभिलेख निम्नलिखित अवश्य होंगे व आवश्यकतानुसार बनाये भी जा सकते हैं।
1. सदस्यता रजिस्टर 2. कार्यवाही रजिस्टर 3. एजेडा रजिस्टर 4. स्टॉक रजिस्टर 5. कैश बुक आदि होंगे।

17. संस्था का विद्यटन:

1. संस्था का विद्यटन और विद्यटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार ही होगी।

दिनांक

प्रबन्धक

सिजरिया एजुकेशनल सोसाइटी

(सत्य प्रतिलिपि)

CHINAYA GUPTA

Chairman
Sri. Intakeshwaral School
Ara

सध्यक

सिजरिया एजुकेशनल सोसाइटी

सिजरिया एजुकेशनल सोसाइटी 34, गुसाई पुरा झॉसी (उ प्र) संशोधित पता-69,70 बी.एन पुश्त-बोडला

आगरा (उ प्र) की प्रबंधसमिति की सूची वर्ष 2016-17

क्र० सं०	नाम	पिता / पति	पता	शिक्षा	पद	कार्य
1.	अनिल कुमार गुप्ता	स्व श्री राम शरण सिजारिया	17, मंगलम विहार सिकन्दरा आगरा	एम० कॉम	अध्यक्ष	नौकरी
2.	धीरेन्द्र प्रकाश	श्री एच० ओ० पी० निगम	41, शकुन्तला नगर गडी भादौरिया आगरा	एम० कॉम	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	छाया गुप्ता	श्री अनिल कुमार गुप्ता	17, मंगलम विहार सिकन्दरा आगरा	एम० ए०	प्रबन्धक	नौकरी
	रत्ना प्रकाश	श्री धीरेन्द्र प्रकाश	41, शकुन्तला नगर गडी भादौरिया आगरा	बी० एड०	उप प्रबन्धक	नौकरी
	दीपक कुमार गुप्ता	श्री राधा कृष्ण गुप्ता	अनाश विकास कॉलोनी आगरा	एम० कॉम	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6.	विनोद गुप्ता	स्व श्री राम शरण सिजारिया	33, गुसाई पुरा झॉसी	एन० एन० बी०	आय-व्यय निरीक्षक	नौकरी
7.	संजय गुप्ता	स्व श्री राम शरण सिजारिया	33, गुसाई पुरा झॉसी	एम० कॉम	सदस्य	नौकरी
8.	एच० ओ० पी० निगम	स्व श्री श्याम लाल	41, शकुन्तला नगर गडी भादौरिया आगरा	बी० ए०	सदस्य	नौकरी
9.	साधना गुप्ता	स्व श्री अजय करतवार	33, गुसाई पुरा झॉसी	बी० ए०	सदस्य	नौकरी
10.	वेदिका गुप्ता	श्री अनिल कुमार गुप्ता	17, मंगलम विहार सिकन्दरा आगरा	बी० टेक	सदस्य	नौकरी
11.	नीतेश गीतम	श्री ब्रज बाबू गीतम	72, लाल नगर बी०एच०ई०एल० झॉसी	इण्टर	सदस्य	नौकरी
12.	श्री नवीन गुप्ता	श्री राम गुप्ता	सुभाष गंज अशोकनगर	बी० टेक	सदस्य	नौकरी
	नीरज गुप्ता	श्री राम गुप्ता	सुभाष गंज अशोकनगर	बी० ए०	सदस्य	व्यापार
14.	श्री मनोज गुप्ता	डॉ एच आर गुप्ता	सिविल लाइन झॉसी	एम० कॉम	सदस्य	व्यापार
15.	डॉ अशोक गांधी	स्व रमा कान्त गांधी	बोधरायना झॉसी	बी ए एम एस	सदस्य	नौकरी

CHHAYA GUPTA

Handwritten signatures and stamps are present below the table. The text includes 'CHHAYA GUPTA' and 'सिजरिया एजुकेशनल सोसाइटी गुसाईपुरा झॉसी (उ प्र) संशोधित पता-69,70 बी.एन पुश्त-बोडला'. There are also several illegible signatures and a stamp that reads 'Chairman' and 'Internal Mark Sheet'.

सिजरिया एजुकेशनल सोसाइटी 34 गुसाई पूरा झाँसी उ प्र संशोधित पता 69,70 वी एन पुरम.बोडला
आगरा (उ प्र) की सामान्य सदस्यों की सूची वर्ष 2016-17

क्र० सं०	नाम	पिता /पति	पता	पद	कार्य
1.	सिद्धार्थ सिजरिया	अनिल कुमार गुप्ता	17, मंगलम विहार सिकन्दरा आगरा	सदस्य	समाज सेवी
2.	देवेन्द्र प्रकाश	श्री एच० ओ० पी० निगम	41, शकुन्तला नगर गढी भादौरिया आगरा	सदस्य	नौकरी
3.	राम किशोर	बलबन्त सिंह	27 वी एन पुरम.बोडला आगरा	सदस्य	सेवानिवृत्त
4.	कुलदीप गुप्ता	राधा कृष्ण गुप्ता	686 ई० डब्ल्यू एस० आवस विकास आगरा	सदस्य	नौकरी
5.	कल्पना गुप्ता	दीपक गुप्ता	686 ई० डब्ल्यू एस० आवस विकास आगरा	सदस्य	नौकरी
6.	सतीश बाबू		28 वी एन पुरम.बोडला आगरा	सदस्य	सेवानिवृत्त
7.	श्रिज बाबू गौतम	लेखराज गौतम	72 लाल नगर भी०एच०ई०एल० झाँसी	सदस्य	नौकरी
8.	नविल गुप्ता	राम गुप्ता	मैन बाजार अशोकनगर	सदस्य	नौकरी
9.	अभिषेक गुप्ता	अशोक गुप्ता	33, गुसाई पुरा झाँसी	सदस्य	नौकरी
10.	हरीश कुमार	देवेन्द्र मुखिया	राम नगर जगदीश पुरा आगरा	सदस्य	नौकरी
11.	रिंकू गैडा	हरी गैडा	बड़ा बाजार झाँसी	सदस्य	ब्यापार
12.	समूरी सिंह		26 वी एन पुरम.बोडला आगरा	सदस्य	सेवानिवृत्त
13.	अमित कुमार	राज कुमार	नगला विहार आगरा	सदस्य	नौकरी
14.	कंचन	हरीश कुमार	राम नगर जगदीश पुरा आगरा	सदस्य	नौकरी
15.	नरेंद्र प्रकाश	श्री एच० ओ० पी० निगम	41, शकुन्तला नगर गढी भादौरिया आगरा	सदस्य	नौकरी
16.	संजय कुमार	स्व श्री दाल चन्द	शास्त्री पुरम आगरा	सदस्य	नौकरी
17.	मधु गुप्ता	प्रदीप कुमार	668 ई० डब्ल्यू एस० आवस विकास आगरा	सदस्य	नौकरी

Handwritten signatures and stamps are present below the table. Notable signatures include 'CHHAYYA GUPTA' and 'Bakshi'. There are also several official stamps and handwritten notes in Hindi, including 'सिजरिया एजुकेशनल सोसाइटी' and 'गुसाईपुरा झाँसी (उ.प्र.)'.


स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : रिजरिया ऐजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पूरा पता : 34 गुसाईपुरा खत्रयाना मार्ग झोंसी (उ०प्र०)
3. संस्था के ऑफिस (आगरा) का पता : 70, वी०एन० पुरा पश्चिमपुरी, आगरा यू०पी०।
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा।
5. संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।

1. जनहित में लोगों को सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक विकास करना जिससे राष्ट्र में सुयोग्य नागरिकों का विकास हो सके।
2. टेक्नीकल शिक्षा का विस्तार करना एवं अशिक्षित युवाओं को टेक्नीकल एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना।
3. जाति धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष भावना व वैमनुष्यता की भावना को दूर कर जनम राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना।
4. उच्च शिक्षा एवं टेक्नीकल शिक्षा से युवा वर्ग को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
5. सरकार द्वारा शिक्षा में किये जा रहे प्रयासों को जन जन तक पहुँचाना एवं उनके सपनों को साकार करना।
6. पिछड़े जाति व अनुसूचित जातियों के बालक व बालिकाओं को शासन द्वारा दी जाने वाली सहायताओं से अवगत कराकर उन्हें सहायता प्राप्त कराने का प्रयास करना।
7. बालक व बालिकाओं के विकास हेतु समय-समय पर प्रतिभांगताएँ आयोजित करना तदर्थ प्रोत्साहित करना व उनके शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना व उनमें निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना।
8. बालक, बालिकाओं के लिये निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, व्यायानशाला व खेलकूद आदि की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करना।
9. गरीब अनुसूचित जातियों के बालिकाओं, महिलाओं व निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण हेतु शिलाई, कलाई बुनाई, कताई, पेन्टिंग प्रोड, शिक्षा केंद्रों के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करने का प्रयास करना जिससे महिलाएं आत्म निर्भर रहे सकें।
10. देवी आपदाओं के समय पीड़ित जनता के मध्य सहाय कार्य करना जैसे सुख, महामारी, दुर्घटना बाल, सूखा आदि इसके शिलये पीड़ित जनता की सहायता विभिन्न प्रकार के रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा उन्हें मुक्त भोजन वस्त्र एवं दवा आदि की मदद पहुँचाने का कार्य करेगी।



CHANDRA GUPTA





Chandran

International School

Agar

1975

1975

अध्यक्ष

रिजरिया ऐजुकेशनल सोसाइटी